8/8

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री महेन्द्र लोढ़ा

निगरानी संख्या 14/18 तारीख रजू— 15/05/18

1— घासी लाल पुत्र चेलाराम जाति कोली निवासी चौथ का बरवाड़ा। —निगरानी गुजार (प्रार्थी)

बनाम

1— बाबूलाल सैनी पुत्र. श्री भौरीलाल सैनी नि0 रामबाग के पास , चौथ का बरवाड़ा।

2— सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा।

—अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक— 6/11/18

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा के पट्टा सं0 79/303 में पारित निर्णय दिनांक 03/10/2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा अप्रार्थीगण 2 ने अप्रार्थीगण 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है तथा निगरानीगुजार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा द्वारा पट्टा सं0 79/303 में पारित निर्णय दिनांक 03/10/17 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानीगुजार ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी ने अधीनस्थ ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन के साथ अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें अपनी उम्र 41 वर्ष बताई है तथा जन्म से निवास करना बताया है। जो कि गलत तथ्य है। बालक अपने माँ बाप के साथ बालिग होने तक रहता है। अन्यथा जमीन पर विपक्षी का कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नही होता तथा ग्राम पंचायत ने 2000 वर्गफिट से ज्यादा जमीन को देने हेतु पट्टा जारी किया है। जबकि ग्राम पंचायत को 500 वर्गफिट से जदा जमीन का पट्टा जारी करने का अधिकार नही है। ग्राम पंचायत ने उच्च अधिकारियों से स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की है। जिस जमीन का पट्टा दिया गया है। वह ख0नं0 1001 की जमीन है। जो सरकारी सिवायचक जमीन है। आबादी भूमि नहीं है। अतः सिवायचक जमीन को देने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में जिस भूमि का पट्टा दिया गया है। उस भूमि को दीवानी न्यायालय के फैसले व डिकी से कब्जा प्राप्त करना बताया है। जबकि उक्त जमीन व पट्टे में दी गई भूमि पृथक—पृथक है, साथ ही वकील प्रार्थीगण द्वारा निगरानी स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03/10/2017 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

(बड़े भाई) (पिता)

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी के दादा स्व0 भौरीलाल जी व (स्वयं) पिता श्री बाबूलाल एवं ताउ गोविन्दनारायण जी ने माननीय मुंसिफ सवाई माधोपुर में एक वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं हकशफा का उनवानी भौरीलाल वगै0 बनाम राजस्थान सरकार वगै0 वाद संख्या 247/80 प्रस्तुत किया था। जिसमें निगरानीकर्त्ता प्रतिवादी संख्या 3 के रूप मे पक्षकार था उक्त प्रकरण का बाद में दिनांक 02.02.2001 को विधिवत् अन्तरित होकर न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सवाई माधोपुर में विधिवत निस्तारण हेतु अन्तरित हुआ

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

9/8

एवं उक्त वाद वादीगण के हक में दिनांक 24.03.2003 को डिक्री हो गया जिसकी नियमित अपील निगरानीकार ने माननीय जिला न्यायाधीश सवाई माधोपुर में प्रस्तुत की जो विधिवत् निस्तारण हेतु अपर जिला न्यायाधीश सवाई माधोपुर को अन्तरित की गयी जहां निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत अपील नंबरी 305/2009 दिनांक 16/03/2017 को अस्वीकार कर खारिज की गई एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24/03/2003 की पुष्टि कर दी गई। उक्त वर्णित डिक्री व इजराय की पालना में अप्रार्थी को विवादग्रस्त सम्पत्ति का कब्जा नियमानुसार सुपुर्द किया गया एवं जब निगरानीगुजार को कोई सफलता सक्षम दीवानी न्यायालय में नही मिली तो उसने दुर्भावना से मामले को उलझाये रखने की बदनियती से उक्त निगरानी पेश की है जो काबिले खारिज होने योग्य है तथा दोनों पक्षकारों के दीवानी अधिकारिता बाबत् दीवानी वाद अप्रार्थी के पूर्वजों के हक में तय किये जा चुके है एवं सिविल न्यायालय द्वारा जब सिविल दावा तय किया जा चुका है तो श्रीमान जी को उक्त निगरानी सुनने का कतई कोई क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है, साथ ही वकील अप्रार्थीगण द्वारा निगरानी अस्वीकार कर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 20/09/17 व पट्टा सं0 79/303 में पारित निर्णय दिनांक 03/10/17 यथावत रखने का निवेदन किया गया ।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि निगरानी गुजार द्वारा अपनी निगरानी में मुख्य अभिकथन यह किया है कि विवादित पट्टा भूमि व मौके की भूमि भिन्न–भिन्न है। मा0 सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित वाद सं0 247/80 व इस सन्दर्भ में प्रस्तुत अपील नम्बरी 305/2009 में वर्णित भूमि तथा निगरानी में विवादित भूमि का पट्टा अलग–अलग है। यह तथ्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख से सिद्ध नहीं हो पाता है। अपितु मा0 सिविल न्यायालय द्वारा नम्बरी अपील व दावा निर्णित होने के बाद उसकी इजराय भी न्यायालय हाजा द्वारा की जा चुकी है। परिणामतयः विवादित पट्टे के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप करना मुनासिफ नहीं है। निगरानी का क्षेत्र सिमित होता है। इसके विरूद्ध वाद में तनकीयात कायम कर साक्ष्य ग्रहण कर विधिवत् आदेश प्रतिपादित किया जा चुका है। अतः हमारे विनम्र अभिमत में उक्त परिस्थितियांवशः निगरानी पोषणीय नहीं होने से निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरीन गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा का आदेश दिनांक 20/09/17 व पट्टा सं0 79/303 में पारित निर्णय दिनांक 03/10/17 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 6.11.18 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर